



३

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड, बीकानेर राजस्थान

क्रमांक :F-4 ()/मगासविबी/सा.प्र./विविध निविदा /2018/ | ३८०५

दिनांक : 20.४.१८

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रु.	निविदा शुल्क रु
1.	विभिन्न समारोहों हेतु डोम टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
2.	विभिन्न समारोहों हेतु टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
3.	माइक्रोसॉफ्ट अधिकृत फर्मों द्वारा कैपस रिन्यूअल	3.65	7,300/-	200/-
4.	कैटीन एवं अतिथि गृह संचालन	9.00	18,000/-	200/-
5.	फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	3.00	6,000/-	200/-

नोट : 1. बिना धरोहर राशि, सर्वांगीन निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. उक्त कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर प्रथक रूप से निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित उपरोक्तानुसार 30.04.18 दिनांक को मध्याह्न 1:00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में जमा की जायेगी एवं उसी दिन मध्याह्न 03:00 बजे निविदायें खोली जायेगी 3. अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4. निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in एवं <http:// sppp .rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है, उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।

Xmud
कुलसचिव



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

१५

निविदा-पत्र

कार्य का नाम—	फ्लेक्स मुद्रण एवं आपूर्ति कार्य	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	30.8.18 मध्याह्न 01:00 बजे तक
निविदा क्रमांक—	13805 20.8.18		30.8.18
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रुपये 3,00,000/- रुपये 6,000/- रुपये 200/-	निविदा खोलने की तिथि	मध्याह्न 03:00 बजे

- विभिन्न प्रपत्रों एवं लिफाफों की छपाई के कार्य (दरतु का नाम जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा ।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता
(मय दूरभाष न. एवं मो. न.)
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या
- किनको सम्बोधित किया गया है :—कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
- संदर्भ :-निविदा क्रमांक _____ दिनांक _____
- निविदा शुल्क की राशि नकद रसीद एवं दिनांकद्वारा रेखांकित पोर्टल ओर्डर /ड्राफ्ट संख्या के द्वारा जमा करा दी गई है ।
- हम द्वारा जारी कि गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा सलान शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से वाय्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उलेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ।
- प्रपत्र—अ में फ्लैक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति दर प्रति स्कैनर फीट अंकित की जानी चाहिए ।
- फर्म को आदेश प्राप्त करने के दिनांक से आदेश से आदेशित की गई अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी
- ऊपर उद्धृत की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा
- बैंक ड्राफ्ट/बैंक बैंक संख्या जो (बैंक का नाम)पर आहरित किया गया है । नगद राशि संख्या के लिए बयान राशि के पेटे संलग्न किया जाता है
- निविदा पत्र के साथ पंजीकरण पत्र संलग्न है
- निविदा पत्र के साथ GST प्रमाण संलग्न है ।
- निविदा प्रपत्र के साथ शीट का नमूना संलग्न है । (नमूने के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी)
- पूर्व में किए गए विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है । (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Yashwant kohli Kishore Jain Anil Patel Jay Jitendra



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(2)

खुली निविदा हेतु निविदा तथा ठेके की शर्तें

टिप्पणी: निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें।

निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।

- “वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं” :- निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्रारूप एस.आर.-11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
- (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना उकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वर्ती सादस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा।
(ब) उकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे। जब तक कि वह / वे समरत नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्थीकृति हेतु उकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्थीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
- निविदा प्रारूप स्थाही से भरे जाएंगे तथा टकित होंगे। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विवार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समरत निवधनों और शर्तों की स्थीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
- दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें रस्त रूप से किया जाए एवं उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाये। दरों में राजस्थान विक्री कर एवं केन्द्रीय विक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए।
- वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रिय राजस्थान विक्री कर के सिवाय समस्त प्रासांगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समरत कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।
- मूल अधिमान—मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादित या विनिर्भूत माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्भूत मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।
- विधिमान्यता:- निविदाएं खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी।
- यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले मालके संबंध में समरत शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राइंग्स आदि का सावधानी पूर्वकपरीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग या विनिर्देश ड्राइंगआदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- उकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पटे पर नहीं देगा।
- विनिर्देश:-
 - प्रदाय की गयी समरत वस्तुएं निविदा प्रारूप में अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्ग के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएं आई-एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वरतुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।
 - वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामले में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोत्तम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।
 - वारंटी/गारंटी:- निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख सेदिन/माल की कालावधि हेतु माल/ भण्डार/वस्तुएं निविदिष्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेंगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण /तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्तदिन/मास की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अरबीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्थीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्थीकृति आदि से संबंधित समरत उपलब्ध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे करने का कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(3)

अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

- iv. मशीनरी तथा उपकरणों के मामले में भी उपर्युक्त खण्ड (3)में वर्णित गारंटी दी जाएगा और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान कल कुर्ज़ा, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दूर करेगा यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि वे दोषपूर्ण पाए जाए और उन्हें विनिर्माण दोष आदि के कारण संचालित नहीं रखा जा सकता। निर्धारित अपवधि में प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।
- v. क्रय अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपकरण के मामले में, निविदादाता उन निवन्ध और शर्तों पर जिन पर राहमति हो गयी हो, वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाता मशीनरी और उपकरणों के विनिर्दिष्ट प्रकार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जा के पर्याप्त प्रदाय हेतु भी दायी होगा चाहे वे वार्षिक अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।

11. निरीक्षण:-

- i. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात जैसा निर्णीत किया जाए माल/उपरकर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी।
- ii. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डिलरों के मामले में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए हैं उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।
12. नमूने— अनुसूची के भीतर अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदत वस्तुओं के समुचित रूप से पैक किए गए नमूनों के दो संघ होंगे। यदि ऐसे नमूने वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगा उन्हें कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा। नमूना प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने की एक रसीद दी जाएगी।
13. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चों पर लिखकर टिकाऊ कागज पर लिखकर नमूने पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे।
14. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छ: मास की कालावधि के निःशुल्क रखे जायेंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट-फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। संविदा की समाप्ति के 9 माह भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
15. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट-फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
16. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जब आवश्यक हो या विहित हो या व्यवहार्थ हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।
17. नमूने लिए जाना— परीक्षण के मामले में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उन्हें उनकी की उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला को तथा अथवा परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा योथा अधिकारी द्वारा रांदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।
18. परीक्षण व्यय— परीक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों अनुरूप नहीं हैं तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा संदेय होगा।
19. अस्वीकृत किया जाना—
 - i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वरतुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाताओं अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
 - ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपर्युक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

Yashwant Yathit

10/10/2019

Mukund

Praj

S



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

५

20. अर्खीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अर्खीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस नीति से करावें जिसे वह उपयुक्त समझे।
21. निविदादाता इस बात हेतु दायी होना कि वह समुचित पैकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान टूट-फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषित द्वारा सामग्री के सके। किसी हानि नुकसान टूट-फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता प्रेषित द्वारा सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
22. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
23. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि को ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरहता होगा।
24. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी उक्तानुसार रखीकृत दरों पर वर्षभर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी।
 - i. मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए हैं तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिरिक्त प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
 - ii. यदि क्रय अधिकारी निविदत वस्तुओं में से किसी वस्तुत का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।
25. बयाना राशि—
 - i. निविदा के साथ रूपये 6000/- की बयाना राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में बैंकर चैक/ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी होगी।
 - ii. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस की दी जाएगी।
 - iii. बयाना राशि से छूटः— उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग, विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं उन मर्दों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए नए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।
 - iv. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बनाया राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
 - v. किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग कार्यालय में पड़ी हुई बयाना राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले संविदाओं के संबंध में पड़ी हुई है। नवीन निविदाओं हेतु बयाना राशि पर विचार किया जा सकेगा।
26. बयाना राशि का समर्पण— बयाना राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समर्पण किया जा सकेगा।
 - i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 - ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
 - iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।
 - iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मर्दों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता है।
27. (अ) करार तथा प्रतिभूति निष्केपः—
 - i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी।
 - ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
 - iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरुद्ध कोई देयच बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी।

Yashwant Singh

Kishore Singh

Kishore

M

N



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

③

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(v)

- i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निष्केप का भुगतान करेगी ।
 - ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे ।
 - iii. प्रतिभूति निष्केप को समपहरण-प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा ।
 - (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है ।
 - (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है ।
 - (ग) प्रतिभूति निष्केप के समपहरण के माले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
 - iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदर्भ किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा ।
28. अ. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा ।
- ब. उस माल के प्रकरण में संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देश के अनुरूप पाए जाएं ।

29. शर्त :-

- i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व रामझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा ।
 - ii. निर्धारित नुकसान-निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी ।
 - iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 2.5 प्रतिशत
 - (ख) विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत
 - (ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत
 - (घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत
 - iv. प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो ।
 - v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम की रकम 10 प्रतिशत होगी ।
 - vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं ।
 - vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की नियदा दाता के नियंत्रकण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा ।
30. वसुलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट-फूट अरवीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निष्केप की जाएगी । यदि वसूलिया संभव न हो राजस्थान लौक पीड़ीआर एक्ट या प्रवृत्ति किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यावाही की जावेगी ।
31. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अरवीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मद्दों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
32. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।
- i. भागीदारी फर्मों के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।
 - ii. यदि फर्म फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरणप्र क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष
 - iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक
 - iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण ।
33. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंधमें संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदित किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।
34. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही रिथ्त न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं ।

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

(6)

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

35. दर संविदा के अनुसार प्रतिनग/प्रति रैट/प्रति किलो आदि की दर अंकित करें ताकि सामग्री आवश्यकतानुसार मंगवाई जा सकें।
36. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

-
कुलसचिव

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्तें रखीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

K. Udit Jain
Yashpal



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(४)

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :
2. फर्म एकल / भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें):
3. भागीदारों के नाम :
4. नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति :
5. बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते हैं :
6. दरें नीचे लिखी तालिका में अंकित करें :
- 7.

A	FLEX Printing Rate : Per Sq. Ft.	Rate per sq. ft with all taxes			
		Single Pass	Two Pass	Four Pass	Iron Stand
1	Complete FLEX (incl. Sheet cost) with double colour printing (any size)				
2	Complete FLEX (incl. Sheet cost) with multi colour printing (any size)				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Yashwant Bodhani Lalchand Jain Kishan P. J. S. A. S.



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(३)

अनुलग्नक—“अ”

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,—

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्ब्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,—

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तैकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(१)

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक दिनांक के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम विविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्ष में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान :

तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर

Jaswant Singh

Kishore Jain

Xinu

Raj

Sh



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(१०)

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

- यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या गार्डर्डर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभित्ति किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व -अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा - 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- यदि उपधारा 01 के अधीन पदभित्ति अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदभित्ति किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
- धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विव्रद्ध कोई अपील नहीं होगा।

अर्थात्:

क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण

ख: बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

ग: यह विनिश्चय की निवंधनों में बातचीत की जाये या नहीं

घ: निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्द करण

ड: गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

- अपील का प्ररूप.— (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
 - प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 - प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकूट डाक द्वारा या प्राधिकूट प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

Yashwant Patel

Kuldeep Jain

Nish

Punj

JK



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(11)

5. अपील फाइल करने के लिए फीस।-

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया।-

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समरत पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर









महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(१२)

प्रस्तुप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील
का ज्ञापन

..... की अपील सं.
(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और

अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,
जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि
संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के
उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी
विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे
अपीलार्थी व्यक्ति है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा
प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता
है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों
और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)
भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Kuldeep Singh

Xinu

Jyoti

Sh

Yashwant Yathor



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(३)

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी ।

2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है । ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे ।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार—

- (1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोत्तरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निवंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी ।
- (2) यदि उपापन- संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।
- (3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था । प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी । पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी ।
- (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और
- (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत ।

3. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन—

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है । तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है । स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के

Yashwant Singh

1/1/2017

Niruk

M

N



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बीकानेर

(14)

समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Kuldeep Singh
kuldeep Singh

Yashwant Singh